राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 35 / 2019

निवास आदि **ब–ना–म** विक्रम आदि

दावा– घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री अमर सिंह – प्रार्थी / प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से
2. श्री रोहिताश्व कुमार मनकस – अप्रार्थीगण / वादीगण की ओर से

:: निर्णय :: **दिनांक :– 06–04–2022**

प्रार्थीगण / प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया गया कि वादी ने दिनांक 04.01.1997 को लिखावट के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज खातेदारी को निरस्त करवाकर स्वयं के नाम उसके हिस्से की भूमि की खातेदारी दर्ज कराने बाबत अनुतोष चाहा है। उक्त लिखावट दिनांक 04.01.1997 रजिस्टर्ड नहीं है व ना ही यह कोई तस्दीक शुदा है तथा 7/–रू. के स्टाम्प पर है जो अपर्याप्त है व साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त लिखावट मियाद बाहर होने से दावा मियाद बाहर है व प्रकरण दिवानी प्रकृति का होने के कारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। उक्त लिखावट के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकत। प्रतिवादी सं. 1 खातेदार है व अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। दावे के लिए कोई आधार विवाद पैदा नहीं हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद वादीगण मियाद बाहर होने से क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के अन्तर्गत खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:38:03 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण / वादीगण ने प्रार्थी / प्रतिवादी सं. 1 व 3 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया कि वादीगण का उक्त भूमि पर [illegible] पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 का कोई कब्जा आदि नहीं है। सभी की जानकारी में उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है तथा रू.7 / – के स्टाम्प की बाबत वादीगण को पहले ज्ञात नहीं था कि स्टाम्प भी रजिस्टर्ड होना चाहिए पहले आपस

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

में ऐसे ही लिखा पढ़ी हो जाती थी। इस कारण से वादी को यह पता भी नहीं था एवं वादी उक्त लिखावट के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

मैंने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी अपास्त कर स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है। उक्त लिखावट दिनांक 04.01.97 रजिस्टर्ड नहीं है व 7/–रू. के स्टाम्प पर है जो अपर्याप्त है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसलिये वादीगण उक्त लिखावट के आधार पर दावा नहीं ला सकता व प्रकरण दिवानी प्रकृति का होने के कारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। ऐसी लिखावटी के आधार पर वादीगण को खातेदारी नहीं दी जा सकती है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण का कथन है कि वादीगण का उक्त भूमि पर दिनांक 04.01.1997 के समय से निरन्तर बिना किसी बाधा के सभी की जानकारी में कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का ना तो कब्जा है और वे ना ही काबिज है। वादीगण ही उक्त भूमि पर काबिज है व काश्त करते आ रहे है तथा वादीगण के पास 7/–रू. के स्टाम्प पर लिखावट भी है जिसके आधार पर वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

मैंने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता सं. 98 में इन्द्राज, कालूराम पि0 हरनाथ, चिड़िया देवी पत्नी हरनाथ, धन्ना धोला पि0 रिछपाल, निवास, भोलाराम, महेन्द्र पि0 चिमनाराम, माली, मीरा पुत्रियां चिमनाराम, लिछमीदेवी पत्नी चिमनाराम, विक्रम दत्तक पुत्र बोदूराम, सुमेर पुत्र चिमनाराम, सुरेश पुत्री हरनाथ की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी/वादीगण ने वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सांखड़ा में बोदुराम पुत्र पालाराम गुर्जर की सम्पूर्ण खातेदारी जरिये लिखावट स्टाम्प रू. 7/– के खरीदी थी जिसके आधार पर अप्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त वाद बाबत घोषणात्मक पेश किया है। उक्त लिखावट एक अपंजीकृत दस्तावेज है। उक्त अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त प्रकरण दिवानी प्रकृति का होने से सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 व 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 06–04–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:38:03 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)